

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 11/2025

GCMS No. 2025/55

अपीलांट-	बनाम	उत्तरदातागण-
1. भीयाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी चाबावास तहसील गिड़ा 2. लाछीदेवी पत्नी भीयाराम जाति जाट निवासी चाबावास तहसील गिड़ा		1. खेराजराज पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी चाबावास तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राज) 2. इमियोदेवी पत्नी स्वर्गीय हेमाराम जाति जाट निवासी चाबावास तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राज.)। 3. हेमाराम पुत्र किरपाराम फौत के कायम मुकाम 3/1 चन्द्रवीर पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी 3/2 निम्बाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी 3/3 हवियो पुत्री हेमाराम पत्नी बालाराम जाति जाट (जाखड़) निवासी हिम्मतपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर 3/4 मोनी उर्फ मनीयो पुत्री हेमाराम पत्नी बाबूराम जाति जाट (कड़वासरा) निवासी धांधपुरा, खोखसर तहसील गिड़ा 3/5 पती चौधरी पुत्री हेमाराम पत्नी भीमाराम जाति जाट (गोदारा) निवासी कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 3/6 सुगणो पुत्री हेमाराम पत्नी खुमाराम जाति जाट (सियाग) निवासी खोखसर पूर्व तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राज.)। 3/7 नीलम चौधरी पुत्री हेमाराम पत्नी गणेशाराम उर्फ गुणेशाराम जाति जाट (गोदारा) निवासी हीरो की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 4. दीपाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी चाबावास तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राज.) 5. तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरुद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2021/78 दिनांक 18.10.2021 तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट व रेस्पोजेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश को विरुद्ध पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलकी उपस्थित।
2. उत्तरदातागण संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी उपस्थित।
3. उत्तरदातागण संख्या 3/2 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 08.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के विरुद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/78 दिनांक 18.10.2021 को तहसीलदार गिड़ा द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 1 से 04 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोजेन्ट सं. 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 311 रकबा 15.77746 हेक्टर व खसरा नंम्बर 395 रकबा 11.9949 हेक्टर मौजा चाबावास पटवार हल्का खोखर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा में अवस्थित है जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोजेन्ट सं. 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी है। यह है कि अपीलकर्ता व रेस्पोजेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा

जाहिर की, इसी दरमियान 18.10.2021 में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा है, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोंडेंट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यथार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काशत, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा बराबर— बराबर नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन विरुद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/78 दिनांक 18.10.2021 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।
2. अतः हमने अपीलांत व अपीलांत के अधिवक्ता एवं रेस्पोंडेंट के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दरतावेज का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि यह आवश्यक था, कि सह खातेदारान के मध्य जब संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावे, तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियों, पानी के टाकों, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही हैं, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, जिस वक्त अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 04 ने विभाजन कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये तब ऐसे लट्टा ट्रेस नक्शे में सहखातेदारान के विभाजित हिस्से में रंग भरकर अलग नहीं किया हुआ था, इस कारण ऐसे तथ्यों की जानकारी अपीलांत व रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 को नहीं हुई, इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरो का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काशत के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकॉर्ड व मौका स्थिति का गिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकॉर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काशत की स्थिति में लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः अपीलॉन्ट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में रेस्पोंडेंट सं. 04 के अधिवक्ता को कोई एतराज नहीं है, जिससे अपील म्याद में शुमार की जाती है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांत की ओर से प्रस्तुत अपीलांतगण की अपील स्वीकार की जाती है।
4. अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/78 दिनांक 18.10.2021 को निरस्त करते हुए मूल खेत संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 311 रकबा 15.77746 हेक्टर व खसरा नम्बर 395 रकबा 11.9949 हेक्टर मौजा चाबावास पटवार हल्का खोखर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। की आराजी का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काशत व बाहामी बंटवाड़े तथा ओवरलेप भूमि को बराबर हिस्से में करते हुए विधिक हिस्से अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।
5. निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो और नम्बर से कम हो।



(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा